न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

रसद विविध :: 16/2018
जीसीएमएस नं. :: 2018/00339

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, सोजत		1. कैलाश वैष्णव पुत्र गोरधनदास वैष्णव, निवासी ग्रामीण बैंक के पास झिलवरी चौक नाडोल, तहसील देसूरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी की ओर से. सुमेरसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 26-8-21

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा सिलेण्डरों व अन्य सामग्री को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि दिनांक 25.07.2018 को मन प्रवर्तन निरीक्षक सोजत हमराह श्री प्रमोद सीरवी (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) जिला रसद अधिकारी महोदय पाली तथा सुश्री भावना दयाल प्रवर्तन निरीक्षक, रानी संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु प्राप्त सूचना क अनुसार ग्रामीण बैंक के पास, झिलवरी चौक नाडोल स्थित मकान पर पहुंचे। मकान पर ताला लगा होने से मकान के बाहर इंगित मोबाईल नं. 8504060366 पर सम्पर्क करने पर कैलाश वैष्णव से वार्ता हुई जिन्हें बुलाकर ताला खुलवाया गया व पूछताछ करने पर उन्होंने स्वयं को मकान का किरायेदार होना बताया व बिजली बिल अनुसार मकान मालिक श्री पकाजी चौधरी हाल मुम्बई निवास होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री जीताराम पुत्र श्री आईदान, निवासी कतवारी का रास्ता, नाडोल, तहसील–देसूरी, व प्रेमसुख तिवारी पुत्र श्री हिरालाल, निवासी सिरवियों का बास, गुडा मेहराम हाल निवासी मेहतों का बास, नाडोल, तहसील–देसूरी की उपस्थिति में मकान की जांच करने पर 22 घरेलु गेस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) विभिन्न कम्पनियों के पूर्ण भरे हुए, 8 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) आंशिक भरे हुए एवं 29 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) विभिन्न कम्पनियों के खाली तथा 6 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर खाली मय 4 भट्टियां पाईप वाल्व सहित, 1 गैस चूल्हा, 3 खाली गैस सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 खाली गैस सिलेण्डर (2.5 किग्रा) एवं 1 गैस डायरी मंगला गैस देसूरी, 10 गैस डायरियं गीता गैस पाली एवं 10 गैस डायरियां सतगुरू गैस [illegible] पायी गयी, जिससे अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों के भण्डारण [illegible] गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं बिक्री सम्बन्धी आवश्यक [illegible] दस्तावेज मांगने [illegible] विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इस पर मौके पर मैसर्स मंगला इण्डे[illegible] एजेन्सी, देसूरी के हैल्पर द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:41 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

रसद विविध 16/2018 सरकार बनाम कैलाश वैष्णव

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. स.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित मानक भार/क्षमता	एलपीजी गैस का वजन	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर का एस.आर. क्रमांक
1	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	15.600	14.200	28.150	12.550	333117
2	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	15.700	14.200	29.840	14.140	146755
3	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	15.800	14.200	29.900	14.140	148166
4	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	15.600	14.200	29.600	14.000	146553
5	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	15.700	14.200	29.830	14.130	888570
6	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.800	14.200	29.800	14.000	184232 S
7	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.800	14.200	29.940	14.140	734472
8	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.500	14.200	29.740	14.240	090565
9	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	16.000	14.200	30.020	14.020	603398
10	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	16.000	14.200	30.020	14.230	048561
11	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.500	14.200	29.730	14.230	023508
12	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.700	14.200	29.870	14.170	99..........
13	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.500	14.200	29.700	14.200	115243
14	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.900	14.200	30.130	14.230	525774
15	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.300	14.200	29.510	14.210	647019
16	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.500	14.200	29.710	14.210	147518
17	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.600	14.200	29.870	14.270	104230
18	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.600	14.200	29.820	14.220	732300
19	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.600	14.200	29.820	14.220	157631
20	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.900	14.200	30.200	14.3000	069517
21	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	16.200	14.200	30.400	14.200	159542
22	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.500	14.200	29.200	13.700	113349
23	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.400	14.200	15.400	0.000	615854
24	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.700	14.200	15.700	0.000	45445
25	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.600	14.200	15.600	0.000	128641
26	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	15.700	14.200	15.700	0.000	834083
27	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	15.700	14.200	15.700	0.000	113498
28	घरेलु गैस सिलेण्डर	IOCL	15.500	14.200	15.500	0.000	357622
29	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.600	14.200	15.600	0.000	022948
30	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	17.300	14.200	17.300	0.000	029075
31	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.600	14.200	15.600	0.000	338149
32	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.800	14.200	15.800	0.000	900235
33	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.700	14.200	15.700	0.000	506
34	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	15.700	14.200	15.700	0.000	276401
35	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	16.000	14.200	16.000	0.000	188912
36	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.600	[illegible]	[illegible]	0.000	924528
37	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	16.500	[illegible]	[illegible]	0.000	35921
38	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.600	14.200	[illegible]	0.000	793691
39	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.700	14.200	[illegible]	0.000	439803
40	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	15.500	14.200	15.500	0.000	303442
41	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	16.000	14.200	16.000	0.000	122873
42	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	16.000	14.200	16.000	0.000	190295

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:41 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

43	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	16.000	14.200	16.000	0.000	101895
44	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	16.000	14.200	16.000	0.000	163470
45	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.600	14.200	20.470	0.000	163470
46	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.000	14.200	24.630	3.87	58605 E
47	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.000	14.200	0.000	8.63	880641
48	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.200	14.200	19.800	0.000	288507
49	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.750	14.200	16.750	3.600	52273
50	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.700	14.200	20.770	0.000	33029
51	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.200	14.200	18.207	4.070	29078
52	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.200	14.200	19.430	2.007	090795
53	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.520	14.200	16.520	3.230	3049
54	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.440	14.200	16.440	0.000	47445
55	घरेलु गैस सिलेण्डर	Reliance	16.290	14.200	16.290	0.000	124853
56	घरेलु गैस सिलेण्डर	Go gas	16.530	14.200	16.530	0.000	37504
57	घरेलु गैस सिलेण्डर	Devarsa	15.790	14.200	15.790	0.000	3196
58	घरेलु गैस सिलेण्डर	Devarsa	16.100	14.200	19.500	0.000	3193
59	घरेलु गैस सिलेण्डर	Devarsa	15.000	14.200	17.270	3.4000	7101
60	वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर	IOCL	19.420	19.420	19.400	2.270	12927
61	वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर	HPCL	19.420	19.420	19.400	0.000	46491
62	वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर	HPCL	19.420	19.420	19.400	0.000	6822
63	वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर	HPCL	19.420	19.420	19.400	0.000	05256
64	वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर	BPCL	19.420	19.420	19.400	0.000	142791
65	वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर	BPCL	19.420	19.420	19.400	0.000	3196 P
						0.000	7196

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री भरतकुमार पुत्र श्री केसाराम लखारा, निवासी मुण्डारा, तहसील–बाली हाल हेल्पर मैसर्स मंगला इण्डेन गैस एजेन्सी, देसूरी को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं बिक्री कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 22 घरेलू गैस सिलेण्डरो (14.2 किग्रा) बिभिन्न कम्पनियों के भरे हुए, 8 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) आंशिक भरे हुए एवं 29 घरेलु गेस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) विभिन्न कम्पनियों के खाली तथा 6 वाणिज्यिक गेस सिलेण्डर खाली मय 4 भट्टिया पाईप वाल्व सहित, 1 गैस चूल्हा, 3 खाली गैस सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 खाली गैस सिलेण्डर (2.5 किग्रा) को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि सभी गैस सिलेण्डर अलग–अलग व्यक्तियों के है जो अलग अलग गाँवों के निवासी है जिनकी ओर से भी वकील अप्रार्थी ही पैरवी हेतु अधिकृत है तथा यह भी कथन किया कि गां[illegible] एजेन्सी नहीं है इसलिए सभी गैस कनेक्शन धारको ने अपनी टंकिया [illegible] स्टोर जो 20–30 वर्षो से है। उनके पहचान होने से गैस सिलेण्डर मय [illegible] रिफलिंग की राशि के उनके पास खाली जगह होने से झिलवरी चौक नाडोल पर रख कर जाते है। जो विभिन्न व्यक्ति जो उपभोक्ता है उनके शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए उनसे स्पष्ट हो जाता है कि वे गैस सिलेण्डर उनके है तथा भरने हेतु उसके गोदाम में रखे हुए है। जब भी सिलेण्डर डिलीवरी की गाड़ी आती है तब गाड़ी वाला स्वयं ही खाली सिलेण्डर ले जाता है व भरे हुए सिलेण्डर रख जाता है एवं डायरी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:41 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

इन्द्राज कर लेते है। एवं सिलेण्डर धारक अपनी सुविधा के अनुसार गांव से नाडोल आते है तब ले जाते है। कैलाश जी किसी प्रकार का कमीशन अथवा राशि नहीं लेते है सेवा के भाव से सिलेण्डर रखवाते है गैस सिलेण्डर की गाड़ी ग्रामों में घर–घर अथवा बेरे पर नहीं जाती है। नाडोल तक ही आती है। जिसका समय निश्चित नहीं है। तथा कनेक्शन धारकों को इन्तजार नहीं करना पड़े इसी लिहाज से सिलेण्डर डायरियां वहां रख कर जाते है व ले जाते है किसी भी व्यक्ति को इन्तजार नही करना पड़ता है अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर अन्य किसी भी गैर कानूनी उपयोग में नहीं लिए जा रहे है न ही अवैध भण्डारण किया गया है। वहीं से 25.7.2018 को सिलेण्डर जब्त कर लिए है सिलेण्डर एवं डायरियाँ जब्त हो जाने से काफी लम्बे समय से समस्या हो रही है इसमें अधिकांश व्यक्ति कानून के जानकार नहीं है वे कभी भी सिलेण्डर का हस्तान्तरण नहीं करेंगे न ही गैर कानूनी उपयोग में लेंगे न ब्लैकमैलिंग के उपयोग में लेंगे। लिहाजा प्रार्थी व प्रवर्तन निरीक्षक का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर गैस कनेक्शन की डायरियां तथा जब्तसुदा सिलेण्डर पुनः गैस कनेक्शन धारकों को रिलीज कराने के आदेश पारित करावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में संलग्न मौके से जब्तसुदा 21 डायरियों का भी अवलोकन किया गया डायरियों में दिए अधिकांश कॉलम रिक्त है डायरियां में सिलेण्डर के क्रमांक, डिलीवरी दिनांक, कैश मिमो क्रमांक ग्राहक के हस्ताक्षर आदि कॉलम रिक्त है इससे स्पष्ट होता है कि डायरिया रखना मात्र दिखावा था। जबकि गैस एजेन्सी द्वारा घर–घर जाकर सिलेण्डरों की डिलीवरी किए जाने का प्रावधान है जिसका वे अलग–अलग चार्ज उपभोक्ता से वसूल करते है। उक्त डायरियों को संग्रह कर अपने पास रखना भी विधीसम्मत नहीं है। न ही डायरीधारकों को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है तथा न ही उनके द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मौके पर कैलाश वैष्णव के किराये के गोदाम से 22 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) विभिन्न कम्पनियों के भरे हुए, 8 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) आंशिक भरे हुए एवं 29 घरेलु गेस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) विभिन्न कम्पनियों के खाली तथा 6 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर खाली मय 4 भट्टिया पाईप वाल्व सहित, 1 गैस चूल्हा, 3 खाली गैस सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 खाली गैस सिलेण्डर (2.5 किग्रा) के मिलना यह सिद्ध करता है कि गैस छोटे सिलेण्डरो में रिफिलिंग कर दी जाती थी तथा बडी मात्रा में आंशिक भरे हुए गैस सिलेण्डर मिलने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त गोदाम में गैस का अवैध कारोबार विक्रय होता था। मौके पर उपस्थित कैलाश वेष्णव ने उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं गोदाम होने बाबत कम्पनी का अथवा सरकार का अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया न ही वैध दस्तावेज ही पेश किए गए है न ही कम्पनी का गोदाम अथवा विक्रय केन्द्र होने बाबत दस्तावेज पेश किए गए है। डायरियों वाले घरेलु उपभोक्ता अधिकांशतः नाडोल के ही निवासी थे जिनमें से मौके पर कोई भी उपस्थित नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता अपने गैस कनेक्शन बाबत अनजान है। वकील अप्रार्थी ने जो जवाब में किशोर कुमार बाबत उल्लेख किया है वह मौके पर था ही नहीं न उसके विरूद्ध प्रकरण पेश किया गया है किशोर कुमार के पास रिलाईन्स गैस डिस्ट्रीब्यूटर की ऐजेन्सी मेहता ऐजेन्सी पाली द्वारा दी गई थी जबकि सिलेण्डर एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, रिलाईन्स, गो गैस, देवरसा, मिले है वकील अप्रार्थी द्वारा उल्लेखित रिलाईन्स कम्पनी ही बन्द हो गई है तो यह तथ्य मायने नहीं रखता। न ही रिलाईन्स की ऐजेन्सी भाई के नाम थी इस वजह से दूसरा भाई बंद हुई कम्पनी व अन्य कम्पनियों के सिलेण्डर गोदाम में अनाधिकृत रूप से नहीं रख सकता है। किशोर कुमार द्वारा जिन व्यवसायिक सिलेण्डरों बाबत निवेदन किया गया है वे भी उसके घर पर नहीं थे न ही किशोर कुमार के परिसर में थे वे व्यवसायिक गैस सिलेण्डर भी कैलाश के किराये के गोदाम में पड़े हुए पाये गए थे। इसलिए उन्हें भी अनाधिकृत रूप से कैलाश वैष्णव के गोदाम में मिलने पर जब्त किए गए है यह तथ्य भी मानने योग्य नहीं ... व्यक्ति स्वयं गैस ऐजेन्सी का ऐजेन्ट था उसे गैस सिलेण्डर के भण्डारण ... द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में गैस सिलेण्डर के नम्बर नहीं लिखे हुए है ... ही लिखे हुए है न ही डायरियों में कम्पनी द्वारा सभी कॉलम भरे गए है इस प्रकार वकील अप्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि जब्तसुदा सिलेण्डर उपभोक्ताओं के है इस बाबत किसी प्रकार के साक्ष्य दस्तावेज भी पेश नहीं किए है। जिससे उक्त सिलेण्डर उपभोक्ता के होना सिद्ध हो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री कैलाश के गोदाम में संग्रहित सभी सिलेण्डर उसी के है तथा वह अवैध कारोबार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

करता है जैसी की सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर भरे हुए व खाली का अवैध रूप से भण्डारण एवं संग्रहण किया जाना पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों की अवहेलना किए जाने से उपरोक्त जब्तसुदा घरेलु व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर व अन्य सभी सामग्री को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित घरेलू व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा 22 घरेलु गेस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) विभिन्न कम्पनियों के पूर्ण भरे हुए, 8 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) आंशिक भरे हुए एवं 29 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) विभिन्न कम्पनियों के खाली तथा 6 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर खाली मय 4 भट्टियां पाईप वाल्व सहित, 1 गैस चूल्हा, 3 खाली गैस सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 खाली गैस सिलेण्डर (2.5 किग्रा) पाये जाने से अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं बिक्री कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किया जाने से उक्त सभी सिलेण्डरों को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी जब्तसुदा डायरियां निरस्त करे जिससे उनका दुबारा दुरूपयोग नहीं हो। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेंषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरो को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F 04{23} ख.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों, के निस्तारण की कार्यवाही की जावे। जो सामान उक्त परिपत्र में उल्लेखित नहीं है उसकी नियमानुसार निलामी की जाकर समस्त राशी राजकोष में जमा कराई जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 26-8-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ansh
(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:41 IST
Reason: SelfAttested